



नाम गणपत के बजाय उभातराम दुलहन रिपेजने का निवेदन किया। जहाँ की तदनुसार पंच रिपेजने में दक्षिण जमीन को दोहराया तथा कथन किया कि गणपतराम नाम का कोई व्यक्ति नहीं है। गणपतराम व उभातराम एक ही व्यक्ति के नाम हैं। पत्नी का एवं पत्नी है। उपलब्ध दस्तावेजों पर पंच गणपतराम पौत्र का उभाण-पत्र का सचानुसंग तबलोकन किया गया एवं बहल पर भनन किया गया। सरपंच गणपतराम पौत्र के उभाण पत्र के अनुसार भी गणपतराम व उभातर एक ही व्यक्ति के नाम हैं। उक्त विवेचन के उपर्युक्त कि उभाण गणपतराम के पिता व पत्नी का नाम गणपतराम की बजाय उभातराम है। अतः गणपतराम के जलरा नं 2197 व 2202 में उभाण गणपतराम के पिता व पत्नी का नाम गणपतराम के बजाय उभातराम दुलहन किया जाना उचित एवं सचानुसंग उभाण होता है।

आदेश

उभाण का उभाण पत्र अ. धारा 136 LR Act स्वीकार किया जाता है तथा गणपतराम पौत्र के जलरा सं नं 320 के अति जलरा नं 2197 रकबा 3.97 हे०, जलरा नं 2202 रकबा 0.60 हे० कुल कित 2 का कुल रकबा 4.57 हे० में उभाण गणपतराम के पिता व पत्नी का नाम गणपतराम की बजाय उभातराम दुलहन किया जाता है। उभाण जलरा पचावत रहेगा। तदनुसार गणपतराम पौत्र तदनुसार राजस्व रिकार्ड में दुलहनी करें। पत्नी के नाम दुभा (डोक) नं 15/3/22 के क्रम है तथा जलरा नं 2197 है।

15/3/22